तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	21-4-15 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी~~/वकील उभयपक्ष ... है। अतः P.O. अवकाश दौरे पर है। ... ~~स पर है का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि० 26-5-15 को पेश हो। रीडर	
	24/5/15 पत्रावली पेश हुई/अभिभावक सेवा ने कार्य का ~~बहिष्कार~~ किया है। P.O. साहब दौरे पर/~~अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त~~ है। पत्रावली दि० 21.7.15 को पेश हो। रीडर	3221-24 / 1-2-6-15
	26-6-15 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर तलावडा में पेश हुई। वादी मीठया व प्रतिवादी मीया उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि पक्षकारों में राजीनामा हो चुका है। पक्षकार मुकदमे को आगे नहीं चलाना चाहते है। मुकदमा वापिस कर दिया जावे। प्रस्तुत राजीनामे पर पक्षकारों को सुना गया। राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा) मेम्बर सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी — (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

8

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) तलावडा

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

मीठ्या दत्तक पुत्र गूजरिया, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुरसिटी ---वादी

बनाम

1. श्रीया पुत्र रणजीता, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
2. बृजलाल पुत्र श्रीया, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
3. परसा पुत्र श्रीया, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
4. गोपी पत्नि श्रीया, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
5. सहायक अभियंता ग्रामीण, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गंगापुर सिटी
6. कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण, जयपुर विद्युत वितरण निगत लिमि0 गंगापुरसिटी ---प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 150 / 2003

वादीगण की ओर से वादी मीठ्या व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी श्रीया की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 26.6.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 26.6.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड	